# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः— 806 /प्रवर्तन जोन—4/2021 दिनांकः— 29/9/21

**शमन स्वीकृति पत्र**

सेवा में,

**मै0 लैण्ड क्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0**
गोल्फ लिंक्स, निकट कोलम्बिया एशिया हॉस्पिटल,
ग्राम महरौली, गाजियाबाद।

**विषयः ग्राम महरौली मे विकसित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के पाकेट पी—1 के टावर 1ए में किये गये निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक **12.08.2021** एवं शपथ पत्र दिनांक **11.08.2021** एवं शपथ पत्र दिनांक **16.09.2021** तथा शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक **24.09.2021** के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन धनराशि शुल्क रू0 **30,47,277.00** (तीस लाख सैतालिस हजार दो सौ सतहत्तर मात्र) दिनांक **27.09.2021** को प्राधिकरण कोष मे जमा किये जाने पर शमन मानचित्र मे दर्शित निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे स्वीकृत डी0पी0आर0/स्वीकृत मानचित्रों के स्वीकृति पत्रों मे वर्णित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
2. पूर्व मे प्राधिकरण से स्वीकृत करायी गयी डी0पी0आर0 एवं स्वीकृत मानचित्रों की स्वीकृतियों के कम में प्रस्तुत किये गये विभिन्न विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्रों मे निर्दिष्ट शर्तो का अनुपालन करना होगा।
3. प्रश्नगत भवन का उपयोग भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एकल आवास के रूप मे ही किया जायेगा।
4. शमनीय भवन की स्ट्रेक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता आदि मे कमी/दोष के कारण यदि भवन परिसर मे कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व निमार्णकर्ता का होगा।
5. प्राधिकरण द्वारा यदि भविष्य मे बढे हुये विकास व्यय/ अन्य शुल्कों की मांग की जाती है ,तो उसकी देयता निर्माणकर्ता को स्वीकार होगी।
6. उपरोक्त शर्तो का पालन न करनें की दशा मे शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. स्वीकृत/शमन मानचित्र के समय प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 11.08.2021 एवं दिनांक 16.09.2021 में वर्णित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। शपथ पत्र में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
8. स्थल पर नियमानुसार लैण्ड स्केप एवं वृक्षारोपण का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
9. सोलर वाटर हीटिंग सयंत्र की स्थापना स्थल पर करनी होगी।
10. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से कूड़ा करकट का निस्तारण करना होगा।

ह0/-
अशोक अरोरा
अवर अभियन्ता

क्र0(1)

11. निर्मित भवन की संरचनात्मक सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व बिल्डर का होगा। भवन अथवा भवन परिसर में कोई क्षति/दुर्घटना होती है तो उसके लिए बिल्डर निजी रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. शासनादेश संख्या–3188/आठ–1–13–80 विविध/2010 दिनांक 05.12.2013 एवं शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80 विविध/2010 दिनांक 24.10.2016 के क्रम में विकास कर्ता को बढ़ी 33 यूनिटों के सापेक्ष 4 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं 4 एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण करना होगा।
13. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी भी भूमि विवाद की स्थिति में दी गयी शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
14. विकास एवं निर्माण से सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाये/प्राविधान जो उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2018) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में वर्णित नही है के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड तथा वी0आई0एस0 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा मे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

**संलग्नक– शमन मानचित्र की प्रति।**

अवर अभियन्ता
अशोक अरोरा
अवर अभियन्ता

प्रभारी, प्रवर्तन जोन–4
रणवीर सिंह
अधि0 अभि0/प्रभारी प्रर्वतन जोन 4
गा0 वि0 प्राधिकरण